FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

ज अदालत सहायक कलक्टर निम्बाहेड़ा मुकाम निम्बाहेड़ा

लाली बाई बनाम सरकार

किस्मा मुकदमा वाद पत्र नं. 57 सन् 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
2/5/23	प्रशासन गाँवों के संग अभियान कैम्प कोर्ट बड़ोली घाटा में वादिया श्रीमति लाली बाई पत्नि श्री नारू जाति भील आयु 60 वर्ष निवासी शाहबाद तहसील निम्बाहेड़ा शिविर प्रभारी उपखण्ड अधिकारी / सहायक कलक्टर के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत पेश कर न्यायालय में निवेदन किया कि मौजा शाहबाद पटवार हल्का बड़ोली घाटा तहसील निम्बाहेड़ा में खाता संख्या 15 पुराना खाता संख्या 13 की आराजी नं. 142 रकबा 0.5200 हैक्टयर, 143 रकबा 1.2400 हैक्टयर, 144 रकबा 0.3700 हैक्टयर, 61 रकबा 0.2400 हैक्टयर कुल किता 4 कुल रकबा 2.3700 हैक्टयर व खाता संख्या 16 पाके मौजा [illegible] बड़ौली घाटा खसरा नं. [illegible] रकबा 2.6600 हैक्टयर मे वादिया का	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:05:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	वादिया ने अपने वाद मे बताया कि इसका असली नाम लाली बाई पति नारु जाति भील है। परन्तु राजस्व अभिलेखों में राजस्व कर्मचारियों की गलती से लाली पति नारु जी भील की बजाय अणछी बाई (अणछी) पत्नी नारु भील दर्ज हो गया जबकि अन्य सभी दस्तावेज राशन कार्ड, वोटर कार्ड, जन-आधार कार्ड मे लाली बाई होने से सरकारी सुविधाएं / योजनाओं का लाभ नही मिल पा रहा है।
	हमने पत्रावली का दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर तहसीलदार निम्बाहेड़ा को प्रशासन गाँवो के संग अभियान कैम्प कोर्ट बड़ोली माधा मे निर्देश प्रदान किये की इसकी जाँच कर विस्तृत जवाब मय दस्तावेज पेश करें।
	तहसीलदार द्वारा पत्रांक विविध/ प्र.गा. सं.अ./ 2023/52 दिनांक 9/5/23 विस्तृत जांच रिपोर्ट, मौका पर्चा रिपोर्ट पेश की। तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट मे बताया कि राजस्व रेकर्ड मे अणछी बाई दर्ज है लेकिन वादिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:05:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अन्य दस्तावेजों मे नाम लाली बाई पति नारू जाति भील है तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका पर्चा व मजमे आम एव कैम्प में आये मौतबिरान ने जाहिर किया कि अच्छी बाई पति नारू भील एव लाली बाई पति नारू भील एक ही व्यक्ति है अत: अच्छी बाई व लाली बाई दोनो एव ही होने से अच्छी बाई का नाम शुद्ध किया लाली बाई किये जाने की अनुशंषा की गई। वादिया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज जिसमे ग्राम पंचायत बडोली धारा का प्रमाण पत्र जिसमें उन्होंने बताया अच्छी बाई एव लाली बाई एक ही व्यक्ति है अत: अच्छी बाई ~~एव~~ का नाम राजस्व रेकर्ड में लाली बाई किया जाना उचित है। वादिया द्वारा अपना शपथ पत्र, सहखातेदारो के गवाह बयान पेश किये गवाह परसराम पिता [illegible] जाति जाट, [illegible] पिता [illegible], द्वारा बयान [illegible] किये [illegible] हमने पत्रावली एवं दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:05:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व त... जो इस हु... में ...
	वादिया द्वारा प्रस्तुत वाद, दस्तावेज, तहसीलदार की रिपोर्ट, मौका पर्चा, ग्राम पंचायत की अनुशंषा, शपथ पत्र व वादिया के दस्तावेज यथा राशन कार्ड, वोटर कार्ड, जन आधार कार्ड, आधार कार्ड के आधार पर वादिया का नाम ग्राम रामगढ़ की खाता संख्या 16/2077-80 एवं ग्राम शाहबाद की खाता संख्या 15/2077-80 मे वादिया का नाम अणाछी बाई की बजाय लाली बाई किये जाने की घोषणा करना उचित प्रतीत होता है।	
	आदेश	
	वादिया का वाद स्वीकार किया जाकर तहसीलदार निम्बाहेड़ा को आदेशित किया जाता है कि मौजा शाहबाद पटवार हलका बड़ोली घाटा के खाता संख्या 15 एव मौजा रामगढ़ पटवार हलका बड़ोली घाटा के खाता संख्या 16	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:05:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	वादिया का नाम अणछी बाई की बजाय लाली बाई पत्नि नारू तमील किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद करें। निर्णय आज प्रशासन गांवो के संग अभियान कैम्प कोर्ट बड़ोली थाना में खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर हो (हस्ताक्षर) 25/5/23 सहायक कलेक्टर निम्बाहेड़ा	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:05:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner